



142

“श्री”  
 राजस्व प्रमुख सभी अधिकारी  
**श्रीमान आयुक्त महोदय इन्दौर के समक्ष**

1. अब्दुल कलाम पिता अब्दुल रशीद

2. मोहम्मद अख्तर पिता मेहराब खां

सभी निवासी :- खरेली तह. सरदारपुर जिला धार

प्रकरण क्रमांक 9826088613  
 वेशी दिनांक 22/8/16

ठाईल - ५१९९-PB/16

विरुद्ध

1. जानीबाई पति गंगाराम जाट

2. गुलाब पिता नानूराम जाट व अव्य

सभी निवासी :- खरेली तह. सरदारपुर जिला धार

596/22.08.2016

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

प्रतिवादीगण

मुफ्त  
निगरानी नियम १९४२ (म) म.प्र. स्टॉम्प नियम १९४२  
के तहत

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थीगण माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प धार म.प्र. द्वारा

प्रकरण क्र. 08/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 23/07/2016 से

असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि, प्रतिप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प धार के

दस्तावेज इकाइनामा दिनांक 20/08/2016 का उचित स्थापित करने हेतु

*[Signature]*

A. 7199-PNCL/16 ३१८

21-2-18

२१

आवेदक आधिकार्ता सूचना उपरांत  
अनुपायित । आवेदक पक्ष के उल्लेखनीय  
को तीन बार चुकार लगवाई गई, परन्तु  
आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपायित  
नहीं हुआ । प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना  
उपरांत अनुपायित २४ने के मारण अदम  
शेरवी में रवारिज किया जाता है।

अद्यपक्ष